आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

8-12-14

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

लगान निर्धारण अपील वाद सं0–01/12

रामविलास महतो वनाम संजय किशोर

आदेश

वर्त्तमान लगान निर्धारण अपील वाद अपीलार्थी रामविलास महतो पिता स्व0 आनन्दी महतो एवं संजय महतो पिता स्व0 आनन्दी महतो, ग्राम–शेखपुरा, पो0–कोठिया, थाना–खगड़िया (मुफ्फसिल), जिला–खगड़िया द्वारा विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया न्यायालय के लगान निर्धारण वाद संख्या–06/09–10 एवं 02/10–11 में दिनांक 04.04.2011 को पारित निर्णय के विरूद्व लाया गया है जिसमें संजय किशोर पिता नरेश प्रसाद सिंह, ग्राम–शेखपुरा, पो0–कोठिया, थाना–मानसी, जिला–खगड़िया को उत्तरवादी के रूप में पक्षकार बनाये गये हैं तथा वाद में सन्निहित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	तौजी नं0	थाना नं0	खेसरा नं0	अराजी बी0क0धू0	चौहद्दी
शेखपुरा	1447	263	265 256	00–00–18 00–01–05	उ0–अरविन्द प्रसाद द0–ईट सोलिंग वाद विलास महतो पु0–ईट सोलिंग चन्द्र भूषण प्रसाद प0–रामदेव महतो

तदनुसार प्रथम दृष्टया सुनवाई के पश्चात विलम्ब क्षांत करते हुए विधिवत पक्षकारों को सूचना निर्गत किया गया। इस आलोक में उत्तरवादी की ओर से दाखिल आपत्ति आवेदन पर पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्क सुना तथा पक्षकारों की ओर से अपने–अपने दावा के समर्थन में उपलब्ध कराये गये कागजी साक्ष्य (सबूत) भी देखा।

अपीलार्थी की ओर से अपने दावा के समर्थन में मुख्य रूप से यह बताया गया कि प्रश्नगत खाता संख्या–35, खेसरा सं0–259 अराजी 01कठ्ठा, 05 धूर की जमीन उनके पूर्वजों की खतियानी बेलगान भूमि है जिस पर ये लोग सपरिवार वास के रूप मं उपयोग करते आ रहे हैं किन्तु विपक्षी (उत्तरवादी) ने अन्य व्यक्तियों से अवैध केवाला दस्तावेज के माध्यम से क्रय कर अपने नाम नामान्तरण की कार्रवाई करवा लिए हैं और इस आधार पर उन्हें उक्त प्रश्नगत भूमि से जबरन वेदखल करने के प्रयास में प्रयासरत हैं।

अपीलार्थी की ओर से यह भी बताया गया कि (उत्तरवादी) विपक्षी के विक्रेता वालमिकी महतो को खेसरा सं0–265 में मात्र 005धूर अराजी की जमीन है।

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

उन्हें हिस्से स्वरूप प्राप्त है। बावजूद इन्होंने अवैध तरीके से सम्पूर्ण अराजी की भूमि विक्री कर दी गई है। उसी आधार पर विपक्षी द्वारा गलत तरीका से अर्जित की गई जमीन का नामान्तरण की कार्रवाई कराया गया जिसमें उन्हें न तो पक्षकार बनाया गया और न हीं किसी प्रकार की सूचना दी गई है। फलस्वरूप एकतरफा आदेश के तहत यह नामान्तरण की कार्रवाई की गई है।

इसी तरह विपक्षी की ओर से अपने दावा के समर्थन में बताया गया कि इन्होंनें प्रश्नगत भूमि के वैध भूस्वामी से निबंधित विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय करने के पश्चात हासिल किए है जिस पर ये शांतिपूर्ण दखलकार बने हुए हैं। जैसा कि अंचल कार्यालय, खगडिया द्वारा नामान्तरण के कार्रवाई के दौरान स्थलीय जाँच के क्रम में उनका दखल कब्जा प्रश्नगत स्थल पर पाया गया। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रश्नगत भूमि उनके विक्रेता वालमिकी महतो के स्वत्व वाद संख्या–61 / 1989 एवं अपील वाद सं0–12 / 1994 के माध्यम से प्रश्नगत भूमि की जमीन है जिस पर उनका स्वत्व स्वामित्व एवं अधिकारी में था इसलिए अपीलार्थी का दावा वेवुनियाद एवं निराधार है।

उभय पक्षों के दावा के परिपेक्ष्य में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को भी देखाा जिससे स्पष्ट है कि उक्त मामला में विधिवत अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बताया गया है और न ही उनहें इस संदर्भ में सूचना निर्गत किया गया है।

अतः हर पहलू पर विचारोपरांत निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्थगित करते हुए आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार अपीलार्थी को पक्षकार बनाते हुए एवं दोनों पक्षों को सुनकर पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य (सबूत) का जाँचोपरांत स्पष्ट आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार इस आदेश की प्रति निम्न न्यायालय के अभिलेख सहित अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेज दें।

लेखापित एवं संशोधित।

3/2/14 — अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

15/2/14 — अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

डी० वी० न० 72 दिनांक 20-2-15
प्रतिलिपि - अभिसुचार्थ उप समाहर्त्ता खगड़िया एवं अंचल अधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित साथ ही निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख संलग्न कर भेजा जाता है
प्रतिलिपि - जिला सूचना पदाधिकारी, एन०आई०सी० खगड़िया को निदेश है कि आदेश को खगड़िया जिला के वेबसाईट पर अप लोड करें।

अपर समाहर्त्ता खगड़िया 14-2-15

Cursued 3209a 27/2/14